झारखण्ड सरकार,
कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग।

:: **संकल्प** ::

चूँकि झारखण्ड के राज्यपाल को यह विश्वास करने का कारण है कि श्रीमती वंदना भारती, झा0प्र0से0 (तृतीय बैच), तत्कालीन अंचल अधिकारी, नाला, जामताड़ा के विरूद्ध गलत प्रतिवेदन समर्पित कर श्री चन्द्रदेव दास, हल्का कर्मचारी, अंचल–नाला को बचाने तथा चिकित्सा अवकाश की अवधि में रोकड़ पंजी में हस्ताक्षर करने संबंधी आरोप, जैसा कि उपायुक्त, जामताड़ा के पत्रांक–01(मु0)/स्था0, दिनांक–06.02.2016 तथा पत्रांक–243/स्था0, दिनांक–22.07.2016 द्वारा गठित संलग्न दो प्रपत्र– 'क' में प्रतिवेदित हैं, प्रथम दृष्ट्या प्रमाणित पाया गया है।

2. अतः श्रीमती भारती के विरूद्ध प्रपत्र–'क' में गठित आरोपों की जाँच हेतु झारखण्ड सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2016 के नियम–17 के तहत् विभागीय कार्यवाही संचालित किए जाने का निर्णय लिया गया है।

3. तदनुसार एतद् द्वारा श्रीमती भारती को आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प के प्राप्त होने की तिथि से पन्द्रह दिनों के अंदर जाँच हेतु नीचे नियुक्त संचालन पदाधिकारी के समक्ष उपस्थित होकर लिखित बचाव बयान उनके (संचालन पदाधिकारी के) समक्ष प्रस्तुत करें तथा उसकी प्रतिलिपि इस विभाग को भी उपलब्ध कराएँ।

4. श्रीमती भारती द्वारा संचालन पदाधिकारी के समक्ष समर्पित किए जाने वाले लिखित बचाव बयान में जिन आरोपों को स्वीकार नहीं किया जाएगा, उन आरोपों की जाँच के लिए झारखण्ड के राज्यपाल श्री विनोद चन्द्र झा, सेवानिवृत्त भा0प्र0से0, विभागीय जाँच पदाधिकारी, झारखण्ड, नगर प्रशासन भवन, एच.ई.सी., गोलचक्कर, धुर्वा, राँची को संचालन पदाधिकारी नियुक्त करते हैं।

5. श्रीमती भारती के विरूद्ध विभागीय कार्यवाही के संचालन हेतु भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, जामताड़ा को उपस्थापन पदाधिकारी नामित किया जाता है।

6. विभागीय कार्यवाही के प्रस्ताव में सरकार का आदेश प्राप्त है।

आदेशः– आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को राजकीय गजट में प्रकाशित कराया जाय एवं इसकी प्रति (आरोप पत्र एवं साक्ष्य कागजात सहित) श्रीमती वंदना भारती, झा0प्र0से0 एवं श्री विनोद चन्द्र झा, सेवानिवृत्त भा0प्र0से0, विभागीय जाँच पदाधिकारी, झारखण्ड, नगर प्रशासन भवन, एच.ई.सी., गोलचक्कर, धुर्वा, राँची को जानकारी एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु भेज दी जाय।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

ह0/–

(सूर्य प्रकाश)

सरकार के संयुक्त सचिव।

(492)

ज्ञापांक–5/आरोप–1–14/2016 का0– ..../राँची, दिनांक ....अक्टूबर, 2017

प्रतिलिपि– अनुलग्नकों सहित श्री विनोद चन्द्र झा, सेवानिवृत्त भा0प्र0से0, विभागीय जाँच पदाधिकारी, झारखण्ड, नगर प्रशासन भवन, एच.ई.सी., गोलचक्कर, धुर्वा, राँची/श्रीमती वंदना भारती, झा0प्र0से0, अंचल अधिकारी, अरगोड़ा, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

2. श्री विनोद चन्द्र झा, सेवानिवृत्त भा0प्र0से0, विभागीय जाँच पदाधिकारी, झारखण्ड, नगर प्रशासन भवन, एच.ई.सी., गोलचक्कर, धुर्वा, राँची से अनुरोध है कि कार्यवाही तुरन्त आरंभ कर अपना प्रतिवेदन 105 दिनों के अन्दर मूल कार्यवाही अभिलेख सॉफ्ट कॉपी के साथ आदेश फलक की दो अतिरिक्त प्रतियाँ संलग्न कर इस विभाग को समर्पित करने की कृपा की जाय।

ह0/–

सरकार के संयुक्त सचिव।

ज्ञापांक–5/आरोप–1–14/2016 का0– 10445/राँची, दिनांक 9 अक्टूबर, 2017

प्रतिलिपि– नोडल पदाधिकारी, ई–गजट, कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग, झारखण्ड, राँची/राज्यपाल, झारखण्ड के प्रधान सचिव/मुख्यमंत्री, झारखण्ड के प्रधान सचिव/मुख्य सचिव कोषांग, झारखण्ड, राँची/विभागीय प्रधान सचिव कोषांग/उपायुक्त, जामताड़ा/उपायुक्त, राँची/महालेखाकार, झारखण्ड, राँची/उप सचिव, वित्त (वै0दा0नि0 कोषांग) विभाग, झारखण्ड, राँची/भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, जामताड़ा/विभागीय अवर सचिव, प्रभारी प्रशाखा–3 एवं 4/विभागीय अवर सचिव, प्रशाखा–6 (चारित्री कोषांग)/प्रशाखा पदाधिकारी, प्रशाखा–5 को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

उपायुक्त, राँची से अनुरोध है कि इस संकल्प का तामिला श्रीमती वंदना भारती, अंचल अधिकारी, अरगोड़ा, राँची को कराकर तामिला प्रतिवेदन विभाग को उपलब्ध कराने की कृपा की जाय।

9.10.17

सरकार के संयुक्त सचिव।